रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2019/कार्तिक 27, 1941
No. 675] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2019/KARTIKA 27, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2019

आय-कर

सा.का.नि. 858(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड और 194ढ के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 30 में, ---

(क) उपनियम (2ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2ग) उपनियम (1) या उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 194 ड के अधीन कटौती की गई कोई रकम मास के अंत से, जिसमें कटौती की गई है तीस दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार की जमा खाता में संदाय किया जाएगा और प्ररुप सं. 26थघ में चालान-सह-विवरण के साथ संगत होगा।"

(ख) उपनियम (6ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6ग) जहां कर की कटौती प्ररुप सं. 26थघ में चालान-सह-विवरण के साथ जमा किया जाना है, वहां इस प्रकार कटौती की गई रकम को उप-नियम (2ग) में भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इलैक्ट्रानिक रुप से प्रेषित करके केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।"

3. मूल नियम के नियम 31 के उपनियम (3ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3ग) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 194ड के अधीन कर की कटौती के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति, मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर उसे उत्पादक या डाउनलोड करने के पश्चात् नियम 31क के अधीन प्ररुप सं. 26थघ में चालान-सह-विवरण देने के लिए नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पाने वाले को प्ररुप सं. 16घ में स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।"

4. मूल नियम के नियम 31क के उपनियम (4) में, खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ix) धारा 194ढ के परंतुक के खंड (iii) या खंड (iv) में उपबंधित छूट को ध्यान में रखते हुए या धारा 194ढ के परंतुक के खंड (v) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टियां देगा, जिस पर कर की कटौती नहीं की गई थी ।"

5. मूल नियम के नियम 31क में उपनियम (4ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4ग) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) या उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 194ड के अधीन कर की कटौती के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति, मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को माह के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर जिसमें कटौती की गई है, उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रुप विधान और मानक के अनुसरण में इलैक्ट्रानिक रुप से प्ररुप सं. 26थघ एक चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करेगा।"

6. मूल नियम के परिशिष्ट ।। में, --

(क) प्ररुप सं. 16ग के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

<table>
<tr><td colspan="8">प्ररुप सं. 16घ</td></tr>
<tr><td colspan="8">[नियम 31(3ग) देखिए]</td></tr>
<tr><td colspan="8">आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र</td></tr>
<tr><td colspan="4">प्रमाणपत्र सं.</td><td colspan="4">अंतिम बार अद्यतन की गई</td></tr>
<tr><td colspan="4">कटौतीकर्ता का नाम और पता</td><td colspan="4">कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">कटौतीकर्ता का पैन/आधार संख्यांक</td><td colspan="3">कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का पैन/आधार संख्यांक</td><td>कटौती का वित्तीय वर्ष</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">संव्यवहार का संक्षिप्त विवरण</td></tr>
<tr><td>क्रम सं.</td><td>विशिष्ट पहचान सं.</td><td>संदाय की प्रकृति</td><td colspan="3">संदत्त/जमा की गई रकम</td><td>संदत्त/जमा की तारीख (दिन/मास/वर्ष)</td><td>कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती और जमा किए गए कर की रकम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल (रुपये)</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा, जिसके लिए प्रत्यय कटौती किए जाने वाले व्यक्ति को दिया जाना है</td></tr>
<tr><td rowspan="2">क्रम सं.</td><td colspan="4" rowspan="2">कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर की रकम (रु.)</td><td colspan="3">चालान पहचान संख्यांक</td></tr>
<tr><td>बैंक शाखा का बीएसआर कोड</td><td colspan="2">वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)</td><td>चालान क्रम संख्यांक</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

कुल (रुपया)		
सत्यापन		
मैं......... ,पुत्र/पुत्री.................... जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं..... ..... यह प्रमाणित करता/करती हूं कि...........रुपये ....(रुपये शब्दों में) की राशि की कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है । मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी, लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और कर की कटौती का चालान-सह-विवरण आधार पर सही और ठीक है ।		
स्थान		(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
तारीख		पूरा नाम

(ख) प्ररुप संख्या 26थ में, --

(i) कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर

"[धाराएं 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194ड.ड., 194च, 194छ, 194ज, 194-झ, 194ञ, 194ठक और नियम 31क देखें]

***आयकर* अधिनियम, की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन (जून/सिंतबर/दिसंबर/मार्च)............ (वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाले तिमाही के वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण)"**

के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे

"[धाराएं 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ,194घक, 194ड.ड., 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक , 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग, 194ढ और नियम 31क देखें]

***आयकर* अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन (जून/सिंतबर/दिसंबर/मार्च)............ (वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाले तिमाही के वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण)"**

(ii) शब्द "कटौतीकर्ता" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं शब्द "कटौतीकर्ता/संदायकर्ता" रखा जाएगा ;

(iii) शब्द "कटौतीकर्ताओं" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं शब्द "कटौतीकर्ताओं/संदायकर्ताओं" रखे जाएंगे ;

(iv) मद संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"5. संदत्त रकम और कटौती किए जाने वाले व्यक्ति से कटौती किए गए कर का ब्यौरा और कटौती किए बिना संदत्त् रकम (उपाबंध देखें).";

(v) "उपाबंध" के स्थान पर निम्नलिखित "उपाबंध" रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"उपाबंध – स्रोत पर कर कटौती का कटौतीदार/पाने वाला वार ब्यौरा"

(कृपया मुख्य प्ररुप 26थ के क्रम सं. 04 की सारणी में प्रत्येक लाइन-मद के लिए पृथक उपाबंध का प्रयोग करें)

.............(दिन/मास/वर्ष) को समाप्त होने वाले तिमाही के दौरान संदत्त रकम/जमा की गई रकम के ब्यौरे और स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

शाखा का बीएसआर कोड/प्ररुप 24छ की प्राप्ति सं.	
चालान जमा करने की तारीख/अंतरण वाउचर तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
चालान क्रम संख्या/प्ररुप 24छ डीडीओ क्र.सं.	
चालान के अनुसार रकम	
उध्र्वाधर रुप में स्तंभ 421 में कटौतीदारों/पाने वालों के बीच आबंटनीय कुल कर	
नीचे उल्लिखित कटौतीकर्ता/पानेवालों के बीच आबंटनीय कुल ब्याज	

कटौतीकर्ता/पानेवाला का नाम	
टैन	

क्रम सं.	कटौतीकर्ता/पाने वाला द्वारा दिया गया कटौतीदार/संदायकर्ताका संदर्भ सं., यदि उपलब्ध हो	कटौतीकर्ता/ पाने वाला का कोड (01-कंपनी, 02-कंपनी से भिन्न)	कटौतीदार का पैन	कटौतीकर्ता/ पाने वाला का नाम	सेक्शन कोड (टिप्पण 7 देखें)	संदाय या जमा की तारीख	संदाय या जमा रकम	धारा 194ढ में निर्दिष्ट 1 करोड़ रुपये से अधिक निकाली गई रकम	कुल कर की कटौती	कुल जमा रकम	कटौती की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	दर जिससे कटौती की गई है	कटौती न करने/कम कटौती करने/उच्च कटौती करने परिवाहक के कारण (टिप्पण 1-7 देखें)	धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/कम कटौती करने के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419क]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
1														
2														
3														
कुल														

सत्यापन

मैं ……………………………………………………………………………, सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान: …………………..   …………………………………………..

तारीख: …………………..

………………………………………..
स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर
कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण:

1. "क" लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे "कम कटौती की गई है" या "कटौती" नहीं की गई है।
2. "ख" लिखें, यदि धारा 197क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
3. "ग" लिखें, यदि कटौतीदार/पाने वाला द्वारा पैन न प्रस्तुत करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है।
4. "म" लिखें, यदि आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट थ्रैशहोल्ड सीमा से नीचे संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
5. "न" लिखें, यदि परिवाहक होने पर कटौतीदार/पाने वाला के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है। कटौतीदार का पैन आवश्यक है (धारा 194ग(6))
6. "य" लिखें, यदि धारा 197क(1च) के अधीन अधिसूचित संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
7. "ढ" लिखें, यदि धारा 194ढ के परंतुक के खंड (iii) या खंड (iv) में या धारा 194ढ के परंतुक के खंड (v) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति को संदाय मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।

8. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है.

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी पर देय संचित अतिशेष का संदाय	192क
193	प्रतिभूतियों पर 193 ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज	94क
194ख	लाटरियों और क्रासवर्ड पजल्स से जीती हुई रकम	94ख
194खख	घुड़दौड़ से जीती हुई रकम	4खख
194ग	संविदाकार और उप संविदाकार को संदाय	94ग
194घ	बीमा कमीशन	94घ
194ड.ड.	राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अधीन जमा से संबंधित संदाय	4घक
194 च	म्युचुअल फंडों या यूटीआई की यूनिटों के पुन:क्रय की बाबत संदाय	4ड.ड.
194छ	लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन, पुरस्कार आदि	94च
194ज	कमीशन या दलाली	94ज
194-झ(क)	किराया	4-झक
194-झ (ख)	किराया	4-झख
194ञ	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस	94ञ
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिकर का संदाय	4ठक
194ठखक	व्यावसायिक न्यास की इकाई से निश्चित आय	4खक
194ठख	विनिधान निधि की इकाई की बाबत आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान की बाबत आय	ठखग
194ढ	कुछ नकद रकमों का संदाय	94ढ

(ग) प्ररुप सं. 26थग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररुप सं.26थघ

[धारा 194ड, नियम 30(2ग), नियम 30(6ग) और नियम 31क (4ग)देखें]

धारा 194ड के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-चाला-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष	-	दीर्घ शीर्ष कोड*			लघु शीर्ष कोड*			
स्थायी खाता संख्या (पैन) या कटौतीकर्ता का आधार संख्यांक								
कटौतीकर्ता का पूरा नाम*								
कटौतीकर्ता का पूरा पता								
					पिन			
मोबाइल सं.		ई-मेल आईडी						
स्थायी खाता संख्या (पैन) या कटौतीकर्ता का आधार संख्यांक								
पैन के प्रवर्ग*		पैन की प्रास्थिति						
कटौतीकर्ता का पूरा नाम*								
कटौतीकर्ता का पूरा पता								
					पिन			
मोबाइल सं.		मोबाइल सं.						
संदाय की प्रकृति (वृत्तिक सेवाओं के लिए संविदा/कमीशन/दलाली या फीस के अनुसरण में कार्य								

संविदा/करार की तारीख**	1 अप्रैल, से आरंभ होने वाली और उस मास, जिसमें संदाय किया गया है/जमा किया गया है, की समाप्ति तक की अवधि के दौरान संदाय जमा का योग	
यदि धारा 197 के अधीन गैर कटौती / निम्न कटौती के मद्दे प्रमाण पत्र का मामला है ?(कृपया हां या नहीं चिन्ह् लगाएं)	निर्धारण अधिकारी द्वारा गैर कटौती या निम्न कटौती के लिए धारा 197 के अधीन जारी प्रमाण पत्र की संख्या	

संदत्त /जमा की गई रकम (रुपए में)		संदाय/जमा की तारीख**	वह दर जिस पर कटौती की गई	स्रोत पर कटौती किए गए कर की रकम	कटौती की तारीख**

जमा की तारीख**			जमा का ढंग	साथ-साथ ई-कर संदाय
				पश्चात्वर्ती तारीख को ई-कर संदाय

स्रोत पर कटौती किए गए कर के संदाय के ब्यौरे (रुपए में रकम)
टीडीएस (आयकर) कटौतीदार को इस रकम के लिए कर, प्रत्यय दिया जाएगा)
ब्याज
फीस
कुल संदाय
शब्दों में कुल संदाय (रुपए)

करोड़	लाख	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई

* **स्वत: अद्यतन किया जाए ।**

** **दद/मम/वव रूप विधान में ।"।**

(घ) प्ररूप 27थ में, –

(i) "[धारा 194ङ., धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग ,धारा 195, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग, धारा 196घ और नियम 31क देखिए]

आय कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन -------(जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) -----------(वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही को अनिवासियों के वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण" **कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों** ***के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे-***

"[धारा 192क., धारा 194ङ., धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग ,धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ढ, धारा 195, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग, धारा 196घ और नियम 31क देखिए]

आय कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन -------(जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) -----------(वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही को अनिवासियों के वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण";

(ii) **"कटौतीकर्ता" शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "कटौतीकर्ता/संदायकर्ता" शब्द रखे जाएंगे**;

(iii) **"कटौतीकर्ताओं" शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "कटौतीकर्ताओं/संदायकर्ताओं" शब्द रखे जाएंगे**;

(iv) **मद सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी**, **अर्थात्:-**

"5. संदत्त रकम और कटौतीदारों से उन पर काटा गया कर तथा बिना कटौती संदत्त रकम (उपाबंध देखिए)"

(v) **"उपाबंध" के स्थान पर निम्नलिखित "उपाबंध" रखा जाएगा**, **अर्थात्:-**

"उपाबंध- स्रोत पर कर कटौती का कटौतीदार/आदाता वार ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप 27थ के क्रम सं. 4 की सारणी में प्रत्येक पंक्ति –मद के लिए पृथक उपाबंध का प्रयोग करें)

------------ (दिदि/मम/वववव) को समाप्त होने वाले तिमाही के दौरान संदत्त रकम/जमा की गई रकम और स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

शाखा का बीएसआर कोड/प्ररूप 26छ की पावती संख्या	
चालान जमा करने की तारीख/अंतरण वाउचर तारीख (दिदि/मम/ववव)	
चालान क्र.सं. /प्ररूप 24छ डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार रकम	
उर्ध्वाधर रूप में स्तंभ 726 में कटौतीदारों के बीच आबंटनीय कुल टीडीएस	
नीचे उल्लिखित कटौतीदारों/आदाताओं के बीच आबंटनीय कुल ब्याज	

कटौतीकर्ता/संदायकर्ता का नाम	
टैन	

क्र.सं.	कटौतीकर्ता / संदायकर्ता द्वारा दिया गया कटौतीदार / आदाता का संदर्भ संख्या, यदि कोई हो	कटौतीदार का कोड (01- कंपनी, 02- अन्य, कंपनी से भिन्न)	कटौतीदार / आदाता का पैन (टिप्पण 6 देखें)	कटौतीदार/ आदाता का नाम	सेक्शन कोड (टिप्पण 5 देखें	संदाय या जमा करने की तारीख (दिदि/मम/ वववव)	संदत्त या जमा की गई रकम	धारा 194ढ में यथा निर्दिष्ट 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद निकासी की रकम	कर	अधिभार	शिक्षा उपकर	कुल कर कटौती (723+ 724+ 725)	कुल जमा कर	कटौती की तारीख (दिदि/ मम/ वववव)	दर जिससे कर काटा गया	कटौती न करने / कम कटौती करने / सकल उच्च / उच्चतर कटौती/ निम्न कटौती के कारण (टिप्पण 1 से 4 देखें	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने / निम्न कटौती करने के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र की संख्या	क्या टीडीएस की दर (क) आय कर अधिनियम डीटीएए (ख) के अनुसार है	विप्रेक्षण की प्रकृति	पत्राचार प्ररूप संख्या 15 ग क की विशिष्ट अभिस्वीकृति, यदि हो	देश, जिसको विप्रेक्षण किया गया है	कटौतीदार / आदाता का ई-मेल आईडी	कटौतीदार / आदाता का संपर्क नंबर	निवास के देश में कटौतीदार/ आदाता का पता	कटौतीदार / आदाता का कर पहचान संख्या/ विशिष्ट पहचान संख्या
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[719]	[720]	[721]	[721A]	[722]	[723]]	[724]	[725]	[726]	[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]
1																									
2																									
3																									
कुल																									

सत्यापन

मैं, ..., सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान: ....

स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख : ....

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण:

1. "क“ लिखें , यदि धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के मद्दे "कम कटौती की गई है" या "कटौती नहीं की गई है" ।
2. "ग" लिखें, यदि ग्रोसिंग अप किया गया है ।
3. "घ" लिखें, यदि कटौतीदार/आदाता द्वारा पैन न प्रस्तुत करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है ।
4. “नहीं” लिखें, यदि धारा 194ढ के परंतुक के खंड 4 या खंड 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति को रकम संदाय के मद्दे या धारा 194 ढ के परंतुक के खंड (v) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है ।
5. धारा कोड की सूची निम्न प्रकार से है:

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित अतिशेष का संदाय	192क
194ड.	अनिवासी खिलाड़ियों/खेल सहयोजनों को संदाय	94ड
194ठख	अवसंरचना ऋण निधि के ब्याज से आय	4ठख
194ठखक	कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय	ठखक
194ठखख	विनिधान निधि की यूनिटों की बाबत आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान की बाबत न्यास	ठखग
194ठग	भारतीय कंपनी से ब्याज से आय	4ठग
194ठघ	**सरकारी प्रतिभूतियों और कतिपय बॉंडों पर ब्याज से आय**	4ठघ
194ढ	नकद में कतिपय संदाय	94ढ
195	अनिवासियों को संदेय अन्य राशि	195
196क	अनिवासियों की यूनिटों की बाबत आय	96क
196B	ऑफशोर यूनिटों की बाबत संदाय	96ख
196ग	अनिवासी भारतीय कंपनी को संदेय विदेशी मुद्रा बॉड या शेयरों से आय	96ग
196घ	विदेशी संस्थागत निवेशकों की प्रतिभूतियों से आय	96घ

6. नियम *37* खग, के अधीन आने वाले कटौतीदारों के मामले में, 'पैन उपलबध नहीं है" उल्लिखित होना चाहिए.

* **स्वत: अद्यतन किया जाए ।**

** **दद/मम/वव रूप विधान में ।"।**

[अधिसूचना सं. 98 /2019/ फा. सं.370142/30/2019 -टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II,** खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना स. सा. का. नि. 836 (अ), तारीख 11/11/ 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2019

INCOME-TAX

G.S.R.858(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 194M and 194N of the Income- tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Income-tax (14th Amendment) Rules, 2019.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 30, -

   (a) after sub-rule (2B), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

   " (2C) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2), any sum deducted under section 194M shall be paid to the credit of the Central Government within a period of thirty days from the end of the month in which the deduction is made and shall be accompanied by a challan-cum-statement in Form No. 26QD.";

   (b) after sub-rule (6B), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

   "(6C) Where tax deducted is to be deposited accompanied by a challan-cum-statement in Form No.26QD, the amount of tax so deducted shall be deposited to the credit of the Central Government by remitting it electronically within the time specified in sub-rule (2C) into the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank.".

3. In the principal rules, in rule 31, after sub-rule (3B), the following sub-rule shall be inserted , namely:— "

   "(3C) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3), every person responsible for deduction of tax under section 194M shall furnish the certificate of deduction of tax at source in Form No.16D to the payee within fifteen days from the due date for furnishing the challan-cum-statement in Form No.26QD under rule 31A after generating and downloading the same from the web portal specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him."

4. In the principal rules, in rule 31A, in sub-rule (4), after clause (viii) the following clause shall be inserted, namely:—

"(ix) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of the exemption provided in clause (iii) or clause (iv) of the proviso to section 194N or in view of the notification issued under clause (v) of the proviso to section 194N."

5. In the principal rules in rule 31A, after sub-rule(4B), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(4C) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3) or sub-rule (4), every person responsible for deduction of tax under section 194M shall furnish to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (System) or the person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) a challan-cum-statement in Form No.26QD electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (5) within thirty days from the end of the month in which the deduction is made."

6. In the principal rules, in Appendix II —

(a) after Form No.16C, the following Form shall be inserted, namely: —

<table>
<tr><td colspan="8" align="center">Form No. 16D</td></tr>
<tr><td colspan="8" align="center">[See rule 31(3C)]</td></tr>
<tr><td colspan="8">Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source</td></tr>
<tr><td colspan="4" align="center">Certificate No.</td><td colspan="4" align="center">Last updated on</td></tr>
<tr><td colspan="4" align="center">Name and address of the Deductor</td><td colspan="4" align="center">Name and address of the Deductee</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4" align="center">PAN/Aadhaar No. of the Deductor</td><td colspan="3" align="center">PAN/Aadhaar No. of the Deductee</td><td align="center">Financial Year of deduction</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8" align="center">Summary of the Transaction(s)</td></tr>
<tr><td>S.No.</td><td>Unique Acknowledgement Number</td><td colspan="2">Nature of payment</td><td colspan="2">Amount Paid/Credited</td><td>Date of Payment/credit (dd/mm/yyyy)</td><td>Amount of tax deducted and deposited in respect of the deductee</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total (Rs.)</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8" align="center">DETAILS OF TAX DEPOSITED TO THE CREDIT OF THE CENTRAL GOVERNMENT
FOR WHICH CREDIT IS TO BE GIVEN TO THE DEDUCTEE</td></tr>
<tr><td rowspan="2" align="center">S.No.</td><td rowspan="2" colspan="3" align="center">Amount of tax deposited in respect of deductee (Rs)</td><td colspan="4" align="center">Challan Identification Number</td></tr>
<tr><td align="center">BSR Code of the Bank Branch</td><td colspan="2" align="center">Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)</td><td align="center">Challan Serial Number</td></tr>
<tr><td align="center">1</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td align="center">2</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>Total (Rs.)</td><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="8" align="center">Verification</td></tr>
</table>

I,……… ,son/daughter of ………………… in the capacity of ….. ….. (Designation) do hereby certify that a sum of (Rs.)…………[Rs. ……….(in words)] has been deducted and deposited to the credit of Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, challan-cum-statement of deduction of tax, TDS deposited and other available records.		
Place		(Signature of the person responsible for deduction of tax)
Date		Full Name:

(b) In Form No. 26Q -

(i) for the brackets, words, figures and letters

"[See sections 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194LA and rule 31A]

Quarterly statement of deduction of tax under sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act in respect of payments other than salary for the quarter ended ……………………… (June/September/December/March) ……………… (Financial Year)"

the following brackets, words, figures and letters

"[See section 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194LA,194LBA,194LBB,194LBC, 194N and rule 31A]

Quarterly statement of deduction of tax under sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act in respect of payments other than salary for the quarter ended…………………………(June/September/December/March) ………………(Financial Year)" shall be substituted;

(ii) for the word "Deductor" wherever it occurs, the words "Deductor/Payer" shall be substituted;

(iii) for the word "Deductors" wherever it occurs, the words "Deductors/Payers" shall be substituted;

(iv) for item no. 5 and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"5. Details of amount paid and tax deducted thereon from the deductees and amount paid without deduction (see Annexure).";

(v) for the "Annexure", the following "Annexure" shall be substituted, namely:-

"ANNEXURE: DEDUCTEE/PAYEE WISE BREAK UP OF TDS"

(Please use separate Annexure for each line-item in Table at Sl. No. 04 of main Form 26Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended……….. (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number / DDO Serial No. of Form No. 24G	
Amount as per Challan	
Total tax to be allocated among deductees/payees as in the vertical total of Col. 421	
Total interest to be allocated among the deductees/payees mentioned below	

Name of the Deductor/Payer	
TAN	

Sl. No.	Deductee /payee reference number provided by the deductor/payer, if available	Deductee/ payee code (01-Company 02-Other than company)	PAN of the deductee/payee	Name of the deductee/ payee	Section code (See Note 8)	Date of payment or credit (dd/mm/ yyyy)	Amount paid or credited	Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore as referred to in section 194N	Total tax deducted	Total tax deposited	Date of deduction (dd/mm/yyyy)	Rate at which deducted	Reason for non-deduction/ lower deduction/ Higher Deduction/ Threshold/ Transporter etc. (See notes 1 to 7)	Number of the certificate under section 197 issued by the Assessing Officer for non-deduction/ lower deduction
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419A]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
1														
2														
3														
Total														

Verification

I, ……………………………………………………………………………, hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: …………………..

Date: …………………..

…………………………………………..
Signature of the person responsible for deducting tax at source

…………..………………………………..
Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
2. Write "B" if no deduction is on account of declaration under section 197A.

3. Write "C" if deduction is on higher rate on account of non-furnishing of PAN by the deductee/payee.
4. Write "Y" if no deduction is on account of payment below threshold limit specified in the Income-tax Act, 1961.
5. Write "T" if no deduction is on account of deductee/payee being transporter. PAN of deductee/payee is mandatory[section 194C(6)].
6. Write "Z" if no deduction is on account of payment being notified under section 197A(1F).
7. Write "N" if no deduction is on account of payment made to a person referred to in clause (iii) or clause (iv) of the proviso to section 194N or on account of notification issued under clause (v) of the proviso to section 194N.
8. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
193	Interest on securities	193
194	dividend	194
194A	Interest other than interest on securities	94A
194B	Winnings from lotteries and crossword puzzles	94B
194BB	Winnings from horse race	4BB
194C	Payment of contractors and sub-contractors	94C
194D	Insurance Commission	94D
194DA	Payment in respect of life insurance policy	4DA
194EE	Payments in respect of deposits under National Savings Schemes	4EE
194F	Payments on account of repurchase of Units by Mutual Funds or UTIs	94F
194G	Commission, prize etc., on sale of lottery tickets	94G
194H	Commission or Brokerage	94H
194-I(a)	Rent	4-IA
194-I (b)	Rent	4-IB
194J	Fees for Professional or Technical Services	94J
194LA	Payment of Compensation on acquisition of certain immovable property	4LA
194LBA	Certain income from units of a business trust	4BA
194LB	Income in respect of units of investment fund	LBB
194LBC	Income in respect of investment in securitization trust	LBC
194N	Payment of certain amounts in cash	94N

(c) After Form No.26QC, the following Form shall be inserted, namely: -

"Form No.26QD

[See section 194M, rule 30(2C), rule 30(6C) and rule 31A (4C)]

Challan–cum–statement of deduction of tax under section 194M

Financial Year	-	Major Head Code*			Minor Head Code*			
Permanent Account Number (PAN) Or Aadhaar No. of Deductor								
Full Name of Deductor*								
Complete Address of Deductor								
				PIN				
Mobile No.		Email ID						
Permanent Account Number (PAN) Or Aadhaar Number of Deductee								
Category of PAN*		Status of PAN*						
Full Name of Deductee								
Complete Address of Deductee								
				PIN				
Mobile No.		Email ID						
Nature of payment (work in pursuance of a contract/commission/brokerage or fees for professional services)								
Date of Contract/Agreement**		Aggregate of payments/credit during the period from 1st April to the end of the month in which the payment has been made/credited.						
Is it a case of non-deduction/Lower deduction on account of certificate under section 197? (Please Tick Yes/No)	☐ Yes ☐ No	Number of the certificate under section 197 issued by the Assessing Officer for non-deduction or lower deduction.						
Amount Paid/Credited (in Rs.)	Date of payment/credit**	Rate at which deducted	Amount of tax deducted at source	Date of Deduction**				
Date of Deposit**		Mode of payment	Simultaneous e-tax payment					

		e-tax payment on subsequent date
Details of Payment of Tax Deducted at Source (Amount in Rs.)		
TDS (Income Tax)(Credit of tax to the deductee shall be given for this amount)		
Interest		
Fee		
Total payment		
Total payment in Words (in Rs.)		

Crores	Lakhs	Thousands	Hundreds	Tens	Units

* To be updated automatically

** In dd/mm/yyyy format.".

(d) In Form No.27Q –

(i) for the brackets, words, figures and letters

"[See section 194E, 194LB, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194LC,195, 196A ,196B, 196C, 196D, and rule31A]

Quarterly statement of deduction of tax under sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act in respect of payments other than salary made to non-residents for the quarter ended ………………………….. (June/September/December/March) ……………… (Financial Year)"

the following brackets, words, figures and letters

"[See section 192A,194E, 194LB, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194LC, 194LD, 194N, 195, 196A ,196B, 196C, 196D and rule31A]

Quarterly statement of deduction of tax under sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act in respect of payments other than salary made to non-residents for the quarter ended …………………………. (June/September/December/March) ……………… (Financial Year)" shall be substituted;

(ii) for the word "Deductor" wherever it occurs, the words "Deductor/Payer" shall be substituted;

(iii) for the word "Deductors" wherever it occurs, the words "Deductors/Payers" shall be substituted;

(iv) for item no. 5 and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"5. Details of amount paid and tax deducted thereon from the deductees and amount paid without deduction (see Annexure)"

(v) for the "Annexure" the following "Annexure" shall be substituted, namely:-

"ANNEXURE: DEDUCTEE/PAYEE WISE BREAK UP OF TDS

(Please use separate Annexure for each line-item in Table at Sl. No. 04 of main Form 27Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended……….*(dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source*

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No.24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number / DDO Serial No. of Form No.24G	
Amount as per Challan	
Total TDS to be allocated among deductees/payees as in the vertical total of Col. 726	
Total interest to be allocated among the deductees/payees mentioned below	

Name of the Deductor/Payer	
TAN	

Sl. No.	Deductee /Payees reference number provided by the deductor / payer, if available	Deductee / Payee code (01-Company 02-Other than company)	PAN of the deductee/ payee [*see Note 6*]	Name of the deductee / payee	Section code (See Note 5)	Date of payment or credit (dd/mm/yyyy)	Amount paid or credited	Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore as referred to in section 194N	Tax	Sur-charge	Edu-cation Cess	Total tax ded-ucted [723+ 724 +725]	Total tax deposi-ted	Date of deduct-ion (dd/mm /yyyy)	Rate at which deduct-ed	Reason for non-deducti-on/lower deducti-on/ grossing up/Hig-her Deduct-ion (see notes 1 to 4)	Number of the certifica-te issued by the Assessi-ng Officer for non-deduction / lower deduction	Whether the rate of TDS is as per IT Act (a) DTAA(b)	Nature of Remit-tance	Unique Acknow-ledgement of the corresponding Form No. 15CA, if available	Country to Which remit-tance is made	Email ID of deductee/ payee	Contact number of deductee/ payee	Address of deductee/ payee in country of residence	Tax Identifi-cation Number/ Unique identifica-tion number of deductee/ payee
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[719]	[720]	[721]	[721A]	[722]	[723]	[724]	[725]	[726]	[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]
1																									
2																									
3																									
Total																									

Verification

I, ………………………………………………………………………., hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete

Place: **…………………..** **…..…………………………….**

Signature of the person responsible for deducting tax at source

Date: …………………..

……………………………………..

Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Note:

1. write "A“" if "lower deduction or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
2. write "C" if grossing up has been done
3. write "D" if deduction is on higher rate on account of non-furnishing of PAN by the deductee/payee.
4. write “N” if no deduction is on account of payment made to a person referred to in clause (iii) or clause (iv) of the proviso to section 194N or on account of notification issued under clause (v) of the proviso to section 194N.
5. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
194E	Payments to non-resident Sportsmen/Sport Associations	94E
194LB	Income by way of interest from infrastructure debt fund	4LB
194LBA	Certain income from units of a business trust	LBA
194LBB	Income in respect of units of investment fund	LBB
194LBC	Income in respect of investment in securitisation trust	LBC
194LC	Income by way of interest from Indian company	4LC
194LD	Income by way of interest on certain bonds and Government securities.	4LD
194N	Payment of certain amounts in cash	94N
195	Other sums payable to a non-resident	195
196A	Income in respect of units of Non-Residents	96A
196B	Payments in respect of Units to an Offshore	96B
196C	Income from foreign Currency Bonds or shares of Indian Company payable to Non-residents	96C
196D	Income of foreign institutional investors from securities	96D

6. *In case of deductees covered under rule 37BC, "PAN NOT AVAILABLE" should be mentioned.*

* To be updated automatically

** In dd/mm/yyyy format.".

[Notification No. 98/2019/F. No. 370142/30/2019-TPL]

SAURABH GUPTA, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 836(E) dated 11/11/2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.11.19 12:00:47 +05'30'